

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ0सं0नि0-26/2003- विभागीय अधिसूचना संख्या-647 दिनांक-
17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8 (बी) में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में लिया गया है, के क्रम में कटिहार जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन
किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. जिला समाहर्ता | - | अध्यक्ष |
| 2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (क) जिला में संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | | |
| 3. जिला के निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | - | सदस्य |
| 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य | - | सदस्य |
| (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | | |
| 5. उप विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| 6. जिला शल्य चिकित्सक | - | सदस्य |
| 7. जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | - | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् | - | सदस्य |
| 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी दूरदर्शन | - | सदस्य |
| (ग) महिला प्रतिनिधि | | |
| 12. श्रीमती अनुराधा कुमारी
पति-श्री श्याम सुन्दर पाण्डेय,
पे0- श्री ललन मिश्रा,
जिला- कटिहार। | - | सदस्य |
| 13. श्रीमती संगीता कुमारी,
पति-श्री प्रभाष कुमार साह,
जिला- कटिहार। | - | सदस्य |
| (घ) स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि | | |
| 14. श्री राज कुमार अग्रवाल,
मे0 रूपरंग साह कटरा,
न्यू मार्केट रोड,
जिला- कटिहार। | - | सदस्य |
| 15. श्री राजेश कुमार सिंह,
पे0-श्री अवधेश कुमार सिंह,
मिरचाईबाड़ी, जिला- कटिहार। | - | सदस्य |
| (ङ) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि | | |
| 16. श्री मनोज कुमार गुप्ता,
पे0- किशोरी प्रसाद गुप्ता,
ग्राम+पो0-मनिहारी, जिला- कटिहार। | - | सदस्य |

17. श्री सुनील प्रसाद, — सदस्य
 पिता—श्री राजेन्द्र प्रसाद,
 बारसोई बाजार, प० सुल्तानपुर,
 वार्ड नं०—04, ग्राम+पो०—बारसोई,
 जिला— कटिहार।
18. श्री जयशंकर प्रसाद उर्फ विजय भगत, — सदस्य
 पे०—श्री जगदीश प्रसाद सिंह,
 ग्राम+पो०—समलमारी,
 थाना—आजमनगर,
 जिला— कटिहार।
19. श्री अवधेश कुमार विश्वास, — सदस्य
 पे०— श्री भुटानंद विश्वास,
 बढैया परती, पो०—कदवा,
 जिला— कटिहार।
- (च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
20. श्री सत्येन्द्र कुमार, — सदस्य
 पे०—रोहित मल्लिक,
 विनोदपुर, वार्ड नं०—25,
 थाना+जिला— कटिहार।
21. श्री गणेश ठाकुर, — सदस्य
 पिता—स्व० रामेश्वर ठाकुर,
 शरीफगंज, डहेरिया मिल्स,
 जिला— कटिहार।
22. श्री श्री गोपाल पासवान, — सदस्य
 पे०— जंगली पासवान,
 लाल कोढ़ी रोड,
 जिला— कटिहार।
23. श्री सहदेव पासवान, — सदस्य
 पे०— स्व० रितु पासवान,
 ग्राम—छोटी चातर, थाना—फलका,
 जिला— कटिहार।

(2) शर्त :-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 3 वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य इस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुर्नगठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित-2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
 7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
 8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य जैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी का अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष- 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।
- (3) **आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरा अंक में प्रकाशित करायी जाए तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमार)

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7057 दिनांक :- 03/09/15
 प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबन्धित जिलाधिकारी/संबन्धित उप विकास आयुक्त/संबन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/ माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/ निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. समाहर्ता, कटिहार से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7057 दिनांक :- 03/09/15
 प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7057 दिनांक :- 03/09/15
 प्रतिलिपि :- अधिक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न)

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक